नीलाम शर्ते

जिला पंचायत शामली के ग्राम्य क्षेत्रो से प्रकाष्ठ का व्यापार करने एवं एकत्रित करने अथवा प्रकाष्ठ का व्यापारिक दृष्टि से अभिवहन करने तथा जनपद से बाहर ले जाने या संग्रह करने पर वाहनो एवं पशु गाडियों के चालको/मालिकों से शुल्क वूसली के ठेके के संबंध में शर्ते निम्नवत् है –

1. बोली में वहीं व्यक्ति/फर्म भाग ले सकता है जो जिला पंचायत शामली का बकायेदार न हो। बकायेदार को बोली बोलने/धनराशि अंकित करने से पूर्व बकाये की सम्पूर्ण धनराशि जमा करानी होगी।
2. व्यक्ति/फर्म को नीलामी में भाग लेने से पूर्व जमानत धनराशि अंकन 200000/–रू0 (दो लाख रूपये) जमा कराने होंगे अथवा बैंक ड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत शामली के नाम देय होगा तथा पैन कार्ड, आधार कार्ड/फोटो पहचान पत्र एवं जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र जमा करना होगा।
3. ठेके की अवधि दिनांक 07.12.2018 से 06.12.2021 तक 03 वर्ष की होगी।
4. उच्चतम बोलीदाता को नीलाम समाप्त होने के तुरन्त बाद बोली की धनराशि उसी दिन एक मुश्त जमा करनी होगी। यदि वह उक्त धनराशि जमा करने में असमर्थ रहता है तो उसकी जमानत जब्त कर दूसरे स्थान पर बोली बोलने वाले बोलीदाता से उसकी उच्चतम बोली का एकमुश्त धन जमा कराये जाने पर विचार किया जा सकता है। यदि वह भी उक्तानुसार धन जमा करने में असमर्थ है तो उसकी भी जमानत राशि जब्त कर पुनः ठेका/लाईसेन्स नीलाम किया जायेगा।
5. व्यक्ति/फर्म जिसके नाम ठेका/लाईसेन्स स्वीकार होगा वह किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को हस्तान्तरित (सबलैट) नही करेगा।
6. व्यक्ति/फर्म को आयकर अधिनियम की धारा 206(सी.) के अन्तर्गत एक प्रतिशत टी0सी0एस0 अतिरिक्त जमा करना होगा। यह धनराशि व्यक्ति/फर्म के पैन पर जिला पंचायत द्वारा टी0सी0एस0 के रूप में जमा की जायेगी।
7. कोई भी व्यक्ति जनपद शामली के ग्राम्य क्षेत्र में प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्ष का वन विभाग की अनुमति के बिना पातन नही करेगा, यदि कोई व्यक्ति/संस्था प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षो का पातन करता है तो ठेकेदार द्वारा इस प्रकार के व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभाग को सूचित करना होगा।
8. कोई भी व्यक्ति जनपद शामली के ग्राम्य क्षेत्रो से प्रतिबन्धित प्रजाति का वृक्ष बन विभाग की अनुमति से या प्रतिबन्धित प्रजाति से भिन्न किसी अन्य प्रजाति के वृक्षो का पातन कर व्यापारिक दृष्टि से प्रकाष्ठ एकत्रित कर अभिवहन करता है तो जिला पंचायत शामली से अनुमति/लाईसेन्स प्राप्त करना आवश्यक है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, शामली

अध्यक्ष
जिला पंचायत, शामली

9. कोई भी व्यक्ति किसी वाहन पर परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक वजन की मात्रा में भरकर प्रकाष्ठ का अभिवहन नही करेगा। सीमा से अधिक प्रकाष्ठ के वजन के वाहनों पर रोक लगाने हेतु जिला पंचायत के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
10. अपर मुख्य अधिकारी की संस्तुति पर मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत शामली किसी भी समय ठेका/लाईसेन्स के दौरान ठेकेदार द्वारा उपविधियों का उल्लंघन करने पर ठेके को निलम्बित अथवा रद्द कर सकते है ओ इस संबंध में होने वाली क्षतिपूर्ति की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जायेगी।
11. प्रकाष्ठ का अभिवहन करने के संदर्भ में अनुमति किये जाने हेतु वाहन चालक/वाहन मालिक से प्राप्त की जाने वाली अनुमति शुल्क की दरें निम्नानुसार होगी –

वाहन का नाम	शुल्क
1– पशुओं द्वारा खीजे जाने वाली गाडी	50.00 प्रति फेरा
2– अन्य छोटे वाहन	50.00 प्रति फेरा
3– ट्रैक्टर–ट्राली (2 टायर वाली)	150.00प्रति फेरा
4– ट्रैक्टर–ट्राली (2 टायर से अधिक)	250.00 प्रति फेरा
5– ट्रक (लाईट गुड्स व्हीकल 6 चक्का)	150.00 प्रति फेरा
6– मिनी ट्रक (लाईट गुड्स व्हीकल)	100.00 प्रति फेरा
7– भारी ट्रक(हैवी गुड्स व्हीकल 10 चक्का या अधिक)	250.00 प्रति फेरा

12. ठेकेदार द्वारा जारी की जाने वाली रसीदों की रसीद वही जिला पंचायत के किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा। ठेकेदार निर्धारित शुल्क की दर से ही शुल्क वसूल करेगा और शुल्क अदाकर्ता के पक्ष में रसीद जारी करेगा। भरी हुई रसीद बही प्रतिपर्ण सहित कार्बन कापी को जिला पंचायत में जमा करना होगा। व्यक्ति/फर्म जिला पंचायत द्वारा जारी रसीद वाहियों से ही वसूल करेगा। अपनी रसीद बही का प्रयोग नही किया जायेगा तथा जिला पंचायत नियमानुसार रसीद बही का मूल्य प्राप्त कर रसीद वही व्यक्ति/फर्म को जारी करेगा।
13. समस्त शासकीय व अर्द्धशासकीय वाहन इस शुल्क से मुक्त होंगे। स्वयं किसानो द्वारा अपने प्रकाष्ठ का अभिवहन करने पर शुल्क से मुक्त रखा जायेगा। किन्तु इसके लिए ऐसा ठोस प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जिससे यह स्पष्ट हो कि किसान द्वारा स्वयं के लिए प्रकाष्ठ का अभिवहन स्वयं के वाहन से किया जा रहा है।
14. ठेकेदार को जिला पंचायत शामली की शर्तो के अनुरूप अनुमन्य स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। स्टाम्प मूल्य को वहन करने का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार/फर्म का होगा। यदि स्टाम्प की कमी पायी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/फर्म की होगी। ठेकेदार द्वारा अनुबंध पत्र निष्पादित करने

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, शामली

अध्यक्ष
जिला पंच. शामली

की चूक की स्थिति में नीलाम का उल्लंघन माना जायेगा। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायत शामली को नीलाम निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. अपर मुख्य अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध 15 दिन के भीतर मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत शामली को अपील की जा सकती है। मा0 अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा।
16. व्यक्ति/फर्म को उपविधियों को पालन करना अनिवार्य होगा। केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा यदि कोई ऐसा आदेश पारित किया जाता है जो उपविधियों की किसी भी धारा/नियम से भिन्न हो, तो उस सीमा तक जिला पंचायत की उपविधि संशोधित मानी जायेगी।
17. ठेकेदार/लाईसेन्सी की उच्चतम बोली में अंकित धनराशि को सक्षम प्राधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष की स्वीकृति की प्रत्याशा में जमा कराया जायेगां
18. सक्षम प्राधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना उच्चतम बोली के आधार पर ही नीलाम स्वीकृत नही मानी जायेगी और यदि सक्षम प्राधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष किसी कारणवश पुनः नीलाम का निर्णय लेता है तो ऐसी दशा में पूर्व नीलामी निरस्त समझी जायेगी और उच्चतम बोलीदाता को उक्त नीलामी से कोई विधिक अधिकारी प्राप्त नही होगा।
19. इस ठेके/लाईसेन्स के संबंध में किसी भी न्यायालय में वाद–विवाद बनता है तो ठेकेदार/लाईसेन्सी को अपने कार्यकाल तक कार्यालय जिला पंचायत के साथ मिलकर उचित पैरवी करनी होगी।
20. नीलाम समिति, नीलामी के समय कोई भी नई शर्ते लगा सकती है अथवा किसी शर्त को शिथिल कर सकती है।
21. शुल्क वसूली हेतु स्थल/बिन्दु जनपद शामली में जो निर्धारित किये गये है, उन्ही पर वसूली करनी होगी। वसूली स्थलों को कम करने या बढाने का अधिकार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत में निहित होगा।
22. यदि ठेकेदार/लाईसेन्सी प्रकाष्ठ से लदे वाहनों के अतिरिक्त अन्य किसी वाहन से वसूली करता पाया गया तो उसका ठेका/लाईसेन्स तुरन्त निरस्त कर दिया जायेगा तथा जिला पंचायत को पुनः नीलाम करने में जो अर्थिक हानि होगी, वह ठेकेदार/लाईसेन्सी से वसूल की जायेगी।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, शामली

अध्यक्ष
जिला पंचायत, शामली